केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो भारतीय बस्ती दैनिक वेब www.bhartiyabasti.com और उसका छपा संस्करण सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क-bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक
भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 253 बुधवार 8 अप्रैल 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

अग्निपीड़ित परिवारों से मिले विधायक दुधराम

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । लालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डीही खास में एक घर में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। महादेवा विधानसभा क्षेत्र 311 के विधायक दुधराम ने आज मौके पर पहुंचकर अग्निपीड़ित परिवार से मुलाकात की। यह घटना बनकटी ब्लॉक के डीही खास गांव में हुई, जहां स्वर्गीय चौतू जी के पुत्र संजय और रंजय का घर आग की चपेट में आ गया और पूरी तरह जल गया।विधायक दुधराम ने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों से बात की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ित परिवार को तत्काल सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाए। इसके अतिरिक्त, विधायक ने अपनी ओर से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी प्रदान की और उन्हें ढांढस बंधाया।

हनुमान जी का विशाल भंडाराः भाजपा नेता अंकुर वर्मा हुए शामिल

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बस्ती के सदर क्षेत्र स्थित ग्राम भैसहिया में मंगलवार को श्री हनुमान जी का विशाल भंडारा आयोजित किया गया। यह आयोजन अरविंद उपाध्याय द्वारा किया गया, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। इस धार्मिक कार्यक्रम में भाजपा नेता अंकुर वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने भगवान हनुमान जी की पूजा–अर्चना की और क्षेत्रवासियों के सुख–समृद्धि की कामना की। वर्मा ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में एकता, भाईचारा और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं भंडारे के दौरान भजन–कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। आयोजनकर्ता अरविंद उपाध्याय ने सभी उपस्थित अतिथियों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने भविष्य में भी ऐसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। इस विशाल भंडारे के सफल आयोजन में स्थानीय लोगों का विशेष सहयोग रहा।

सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मौत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिले के हरैया–बभनान मार्ग पर सोमवार रात करीब ग्यारह बजे एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान सलहदीपुर निवासी 41 वर्षीय सत्यराम यादव उर्फ गाने के रूप में हुई है। सत्यराम यादव बभनान से अपने घर सलहदीपुर लौट रहे थे। सलहदीपुर मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। एक ग्रामीण की सूचना पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और घायल सत्यराम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरैया ले गए। वहां डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय बस्ती रेफर कर दिया। उपचार के दौरान मंगलवार भोर में उनकी मृत्यु हो गई।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मोतीचंद ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर थाना कोतवाली बस्ती पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

ट्रंप की चेतावनीः ईरान में अब मचेगी तबाही?

वाशिंगटन (आभा)। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। ईरान ने 45 दिनों के सीजफायर प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। तेहरान का कहना है कि वह युद्ध का स्थायी समाधान चाहता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम नजदीक आ रहा है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमलों की धमकी को बढ़ाते हुए अब सभी पावर प्लांट्स और ब्रिजों को भी निशाना बनाने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि वह संभावित युद्ध अपराधों के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं। उन्होंने ईरान को मंगलवार शाम 8 बजे तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से खोलने का अल्टीमेटम दिया है, वरना अमेरिका ईरानी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देगा। भारतीय समयानुसार सुबह 5.30 बजे डेडलाइन खत्म हो रही है।

इजरायल ने मंगलवार तड़के ईरान पर हमलों की एक नई लहर चलाई, जबकि ईरान ने इजरायल और उसके खाड़ी अरब पड़ोसियों पर मिसाइलें

दागीं। इस्तांबुल में इजराइली वाणिज्य दूतावास के बाहर गोलीबारी हुई, जिसमें 2 हमलावर मारे गए और एक को पकड़ लिया गया। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान में 1,900 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन सरकार ने कई दिनों से मौत का आंकड़ा अपडेट नहीं किया है। लेबनान में 1,400 से अधिक लोग मारे गए हैं और 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। वहां 11 इजरायली सैनिक भी मारे गए। खाड़ी अरब देशों और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 24 से अधिक लोग मारे गए, जबकि इजरायल में 23 और अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत हुई है।

ईरान के खर्ग द्वीप पर मंगलवार को एक साथ कई हमले किए गए। यह द्वीप फारस की खाड़ी के पार कुवैत और सऊदी अरब में स्थित अमेरिकी बेस के सामने है और ईरान के तेल क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। देश के लगभग 90: तेल निर्यात इसी द्वीप से होकर गुजरते हैं। ईरान के शहंदर में रेलवे आवाजाही रोक दी गई है। इजरायल ने ईरानियों को चेतावनी जारी की थी कि शाम 9 बजे तक देश के रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल न करें। इजरायल डिफेंस फोर्सेज (फ्स) के एक्स पेज पर पोस्ट किया गया कि ट्रेनों और रेलवे लाइनों के पास होना आपकी जान को खतरे में डाल सकता है।

पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की अमेरिका व ईरान के बीच लगभग 45 दिनों का युद्धविराम कराने का प्रयास कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान ने शत्रुता समाप्त करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है।

25 लाख युवाओं को मुफ्त में टैबलेट देगी योगी सरकार

लखनऊ (आभा)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के लाखों छात्र–छात्राओं को सरकार की तरफ से बड़ी सौगात देते हुए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत युवाओं को निःशुल्क वितरण के लिए 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर टैबलेट वितरित किया

जाएगा। वित्त वर्ष 2025–26 के लिए इस योजना में 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, इससे केंद्र सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बताया कि योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, आइटीआइ और कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़े छात्रों एवं प्रशिक्षुओं को टैबलेट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे युवा अपनी पढ़ाई को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकेंगे।

भीम युवा वाहिनी संगठन ने एसडीएम के आश्वासन पर स्थगित किया धरना

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मंगलवार को भीम युवा वाहिनी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू राव, मण्डल अध्यक्ष अवनीश प्रभात के नेतृत्व में संगठन पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने नगर थाना क्षेत्र के छबैला गांव में शौचालय निर्माण रोके जाने के सवाल को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया। मांग किया कि अनुसूचित जाति के नन्दलाल पुत्र रामकिशुन के पूर्वजो के काबिज जमीन पर पूर्व में बने चरनी को गिराकर उसी स्थान पर शौचालय निर्माण न कराने देने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसे तत्काल प्रभाव से रोका जाय और शौचालय निर्माण पूरा कराया जाय। उप जिलाधिकारी सदर ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इस आधार पर धरना स्थगित कर दिया गया।

धरना देने के बाद भीम युवा वाहिनी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू राव, मण्डल अध्यक्ष अवनीश प्रभात ने कहा कि उप जिलाधिकारी सदर के आश्वासन पर धरना स्थगित कर दिया गया है किन्तु यदि न्याय न मिला तो वे पुनः आन्दोलन को बाध्य होंगे। मांग किया कि नगर थाना क्षेत्र के छबैला गांव में अनुसूचित जाति के

-शौचालय निर्माण रोकने वालों के विरूद्ध कार्रवाई न हुई तो फिर होगा आन्दोलन

नन्दलाल पुत्र रामकिशुन के पूर्वजो के काबिज जमीन पर पूर्व में बने चरनी को गिराकर उसी स्थान पर शौचालय निर्माण को रोकने वालों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाय। भीम युवा वाहिनी संगठन के नेताओं ने कहा कि नन्दलाल पुत्र रामकिशुन के गाटा संख्या–169 मि० आबादी के रूप में दर्ज है किन्तु गाँव के ही सोनी सिंह पत्नी शिवेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा शौचालय निर्माण को रोका जा रहा है जबकि लेखपाल ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अवरोध उचित नहीं है। कहा कि न्याय न मिला तो संगठन पुनः आन्दोलन को बाध्य होगा।

ज्ञापन देने के दौरान नन्दलाल, प्रमोद, बजरंगीलाल, छाया, रामधनी, इन्दु, छेदी, गीता, लालजी, संदीप कुमार, सूरज कुमार, संगीता, शकुन्तला, अंकुश कुमार, सुषमा, सितावा, राजवंत कुमार, हरीराम आदि शामिल रहे।

छावनी पुलिस की लापरवाही पर उठे सवाल, पीड़ित परिवार न्याय के लिए भटकने को मजबूर

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती । छावनी थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। सुहगिया शंकरपुर निवासी शिवपूजन पुत्र रामनाथ ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर आरोप लगाया है कि उनकी आबादी की जमीन पर जबरन कब्जे की कोशिश, परिवार के साथ मारपीट और थाने की उदासीनता के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस न केवल मामले में लापरवाही बरत रही है, बल्कि उल्टा उन पर दबाव बनाने का काम कर रही है।

बताते चले कि 4 अप्रैल को गांव के ही रुश्मा पत्नी हरिविजय मौर्या और राम प्रसाद पुत्र रामदास मौर्या पीड़िता की आबादी की भूमि पर जबरिया कब्जा करने की कोशिश करने लगे। जब पीड़िता संजू ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। यह घटना पूरे विवाद की शुरुआत मानी जा रही है, जिसके बाद पीड़ित परिवार लगातार हमलों और दबाव का सामना कर रहा है।

शिवपूजन का आरोप है कि जब उन्होंने दोबारा न्याय की गुहार लगाई, तो छावनी पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उन पर पांच गवाह पेश करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। सवाल यह उठता है कि जब पीड़ित के पास घटना का वीडियो साक्ष्य मौजूद है, तो फिर गवाहों की अनिवार्यता क्यों थोपी जा रही है? यह पुलिस की निष्पक्षता पर बड़ा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि छावनी थाना क्षेत्र में इस तरह की शिकायतें पहले भी सामने आ चुकी हैं, जहां पुलिस समय पर कार्रवाई करने में असफल रही है। इससे आम जनता का पुलिस पर से भरोसा उठता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस अधीक्षक इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं और क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं।

रेडक्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डा. प्रमोद कुमार चौधरी ने त्याग पत्र दिया

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन डा. प्रमोद कुमार चौधरी ने निजी और प्रोफेशनल व्यस्तता के कारण पद से त्याग पत्र दे दिया है।

जिलाधिकारी को दिये पत्र में डा. प्रमोद कुमार चौधरी ने कहा है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के मानवीय कार्यों और मकसदों में योगदान देना उनके लिए खुशी और सम्मान की बात है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सभी सदस्यों से मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुये जिलाधिकारी से आग्रह किया है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर बदलाव के लिये जरूरी व्यवस्था

करायी जाय। कहा कि पद पर न रहते हुये भी रेड क्रास सोसायटी के सदस्य के रूप में उनका सहयोग सदैव बना रहेगा।

दिव्यांग, सामान्य बच्चों के नामांकन के लिए चलाया जागरूकता अभियानः दिया संदेश

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

नगर बाजार (बस्ती)। जन विकास समिति के मार्गदर्शन एवं दिशा संगठन के सहयोग से दिव्यांग बच्चों सहित सामान्य बच्चों को स्कूल शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से 'वी रिंग द बेल' नामक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत प्राथमिक विद्यालय रौसिंघापार तथा प्राथमिक विद्यालय भौसिंहपुर में बच्चों के नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए रैली निकाली गई और एक मिनट का सामूहिक शोर (बेल बजाने जैसा शोर) किया गया। जिसके पूरे क्षेत्र में शिक्षा के महत्व का संदेश पहुंचा।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग जनों और सामान्य बच्चों दोनों को बिना किसी भेदभाव के स्कूल शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करना था। जन विकास समिति के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभियान में दिशा संगठन ने सक्रिय भूमिका निभाई। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने बैनर, पोस्टर और नारों के माध्यम से "हर बच्चा स्कूल जाए, हर बच्चा पढ़े" का संदेश दिया। रौसिंघापार प्राथमिक विद्यालय और भौसिंहपुर प्राथमिक विद्यालय के आसपास के इलाकों में घूमते हुए लोगों को स्कूल नामांकन की प्रक्रिया, मुफ्त शिक्षा, दिव्यांग बच्चों की विशेष जरूरतों और उपलब्ध सुविधाओं तथा शिक्षा का अधिकार के बारे में विस्तार से बताया गया।

एक मिनट के शोर अभियान ने पूरे कार्यक्रम को यादगार बना दिया।

इस दौरान सभी प्रतिभागियों ने एक साथ तालियां बजाईं, सीटियां बजाईं और ऊंची आवाज में नारे लगाए, जिससे आसपास के घरों, दुकानों और सड़कों पर मौजूद लोग भी आकर्षित हुए। इस शोर का उद्देश्य था कि शिक्षा का संदेश हर घर तक पहुंचे और कोई भी बच्चा, चाहे वह दिव्यांग हो या सामान्य, स्कूल से वंचित न रहे।

कार्यक्रम में दिशा संगठन की कार्यक्रम अधिकारी सिस्टर अनिमा मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। उन्होंने कहा दिव्यांग बच्चे भी समाज का अभिन्न अंग हैं। उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना हमारा नैतिक दायित्व है। 'वी रिंग द बेल' अभियान के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई बच्चा स्कूल जाने से पीछे न रहे।

इसके अलावा दिशा के कार्यकर्ता राजेंद्र, शुभम, रेखा, दीपक तथा मंतराम भी पूरे कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल रहे। उन्होंने रैली का नेतृत्व किया, स्थानीय अभिभावकों से बातचीत की और स्कूल नामांकन के लिए तत्काल सहायता का आश्वासन दिया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि कई अभिभावक दिव्यांग बच्चों को स्कूल भेजने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं। लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम उनके मन में विश्वास जगाते हैं।

जन विकास समिति के पदाधिकारियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिशा संगठन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे ताकि क्षेत्र के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिल सके।

जागरूकता कार्यक्रम ने स्थानीय स्तर पर काफी प्रभाव छोड़ा है। अभिभावकों में स्कूल नामांकन को लेकर उत्साह देखा गया। रैली के बाद कई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए तैयार दिखे। संगठनों ने भविष्य में भी दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, उनके अधिकारों और समावेशी विकास के लिए ऐसे कार्यक्रम जारी रखने की घोषणा की है।राजेन्द्र प्रसाद ने कहा कि यह कार्यक्रम न केवल नामांकन बढ़ाने का माध्यम बना, बल्कि पूरे समुदाय को यह याद दिलाया कि शिक्षा हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है द्य चाहे वह दिव्यांग हो या सामान्य। जन विकास समिति और दिशा के इस संयुक्त प्रयास ने साबित कर दिया कि सामूहिक प्रयासों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

विकलांग ने एसपी से लगाया भूमि पेड़ विवाद के निस्तारण की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मुण्डेरवा थाना क्षेत्र के गुलरिहा सिरसा निवासिनी विकलांग अनुराधा पत्नी गिरीश चन्द्र ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर भूमि और पेड़ों को लेकर विवाद को निस्तारित कराये जाने की मांग किया है।

एसपी को दिये पत्र में अनुराधा पत्नी गिरीश चन्द्र ने कहा है कि डीही आबादी में उसका छप्परपोश मकान स्थित है, इस मकान के उत्तर तरफ नाली स्थित है। उसका मकान व नाली के बीच तीन पेड़ आम का स्थित है । उत्तर तरफ गाटा सं0 116 चकमार्ग है जिसे गाँव के ही रामलोचन, मदन, इन्द्रेश पुत्रगण दयाराम ने जोतकर अपने खेत में मिला लिये है। उक्त लोग ग्राम प्रधान से मिलकर चकमार्ग नाली के उत्तर के बजाय दक्षिण तरफ उसके डीही आबादी में थाने पर जबरदस्ती पेड़ काटने का सुलहनामा लिखवा दिया और उसके देवर सूर्यनाथ को जेल भेजवा दिया। वह और उसके पति विकलांग, गरीब असहाय व्यक्ति है। उसने पूरे मामले में अपने मकान, जमीन, पेड़ की रक्षा के साथ ही दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग किया है।

वार्षिकोत्सव में पुरस्कृत हुये मेधावी

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

मुण्डेरवा (बस्ती)। कन्या प्राथमिक विद्यालय मुंडेरवा पर मंगलवार को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया।जिसमें विद्यालय के कक्षा पांच की छात्राएं रेहनुमा, सुनीता, नूर अफसा, रागिनी ने देश भक्ति एवं स्वागत गीत प्रस्तुत कर संमा बांध दिया।बच्चों के कार्यक्रम की सभी अतिथियों ने सराहना किया। कार्यक्रम के दौरान सभी कक्षाओं के प्रथम, द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। तथा कक्षा 5 के छात्रों में पुरस्कार भी वितरण किया गया।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि निरुसंदेह कन्या प्राथमिक विद्यालय मुंडेरवा के शिक्षकों द्वारा बच्चों को काबिले तारीफ शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समय से पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं जिसके परिणाम स्वरुप ही आज के परिवेश में सरकारी विद्यालयों में नामांकन आधिकाधिक हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बच्चों के समग्र विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। आज जहां एक तरफ बच्चों को पौष्टिक भोजन परिषदीय विद्यालयों में प्रदान किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षकों द्वारा नियमित आधुनिक टेक्नोलॉजी से ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। इसी क्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर पंचायत मुंडेरवा के सभासद अनिल शुक्ल ने कहा कि भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ सभी जन को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा समय–समय पर निपुण लक्ष्य के माध्यम से बच्चों का प्रत्येक माह बौद्धिक स्तर का परीक्षण किया जा रहा है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि डीबीटी के माध्यम से सभी बच्चों को ड्रेस बैग,जूता मोजा परिषदीय विद्यालयों में निरुशुल्क प्राप्त हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों में की गई है और आज के परिवेश में गुणवत्ता युक्त शिक्षण परिषदीय शिक्षकों द्वारा दिया जा रहा है। इसी क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी बनकटी अरुण यादव ने कहा कि आज के परिवेश में अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वह नियमित बच्चों को विद्यालय भेजें। तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कक्षा 5 उत्तीर्ण होने वाले बच्चे अति शीघ्र कक्षा 6 में अपना नामांकन करा लें। इसी क्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक उमाकांत शुक्ल ने कहा कि अभिभावकों की यह जिम्मेदारी है कि वह नियमित रूप बच्चों के गृह कार्य पर ध्यान दें। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों के नियमित न आने से शैक्षिक गतिविधियों में रुकावट उत्पन्न होती है। उन्होंने उपस्थित अभिभावकों को यह भी अपील किया कि अपने आसपास के बच्चों का नामांकन परिषदीय विद्यालयों में ही कराए। कार्यक्रम का सफल संचालन सतीश यादव ने किया।इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदय विकास पांडे, मंत्री मोहम्मद अरसलम, कोषाध्यक्ष मक्खनलाल, नोडल शिक्षक ओमप्रकाश विश्वकर्मा, आलोक नाथ वर्मा, दुर्गेश सोनी, सुभाष चंद्र, योगेंद्र सिंह, श्रीमती छाया जायसवाल, श्रीमती उर्मिला,प्रबंधसमिति के अध्यक्ष शिव वचन सहित तमाम अभिभावक मौजूद रहे।

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर दिया संदेशः स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी सम्पत्ति

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मंगलवार को वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के महामंत्री कमिश्नर कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्याम प्रकाश शर्मा के संयोजन में कलेक्ट्रेट परिसर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया।

मुख्य अतिथि डा.वी.के. वर्मा ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी, असंतुलित खानपान और तनाव के कारण लोग कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग अपने दैनिक जीवन में स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और नियमित जांच, संतुलित आहार और व्यायाम को अपनाएं।

पूर्व सांसद हरीशंकर सफरीवाला ने कहा कि आज के दौर में मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। इन बीमारियों का मुख्य कारण खराब जीवनशैली और शारीरिक गतिविधियों की कमी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि लोग नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद लें, तो इन बीमारियों से काफी हद तक बचा जा सकता है।

आयोजक श्याम प्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रति वर्ष 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और स्वास्थ्य सेवाओं की अहमियत को समझाने के लिए समर्पित होता है। ऐसे दौर में, जब जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां और मानसिक तनाव तेजी से बढ़ रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस का महत्व और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी । कार्यक्रम की अध्यक्षता बी.एन. शुक्ल ने किया।

इस अवसर पर छोटेलाल वर्मा, संजीव पाण्डेय, अमर पाल, डा. रामकृष्ण लाल 'जगमग', डा. राजेन्द्र सिंह राही, बालकृष्ण चौधरी, अरूण कुमार श्रीवास्तव, दीनानाथ यादव, राहुल सिंह, दीनानाथ यादव, कृष्ण चन्द्र पाण्डेय, नेबूलाल चौधरी, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, पेशकार मिश्र, लालजी पाण्डेय आदि उपस्थित रहे।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 8 अप्रैल 2026 बुधवार

सम्पादकीय

भारतीय बस्ती अयोध्या की विकास यात्रा

अयोध्या—फैजाबाद संस्करण के लिए यह वर्ष एक अलग भावनात्मक अर्थ लेकर आया है। यह ऐसा दूसरा वर्ष है, जब 'भारतीय बस्ती' अपने संस्थापक संपादक स्व. दिनेश चंद्र पाण्डेय की अनुपस्थिति में आगे बढ़ रहा है। समय आगे जरूर बढ़ता है, लेकिन कुछ खालीपन ऐसे होते हैं, जो हर दिन महसूस होते हैं—यह वर्ष उसी एहसास को फिर से गहरा करता है। संस्थापक संपादक स्व. पाण्डेय केवल एक संपादक नहीं थे, बल्कि एक विचार और एक दृष्टि थे। 21 वर्ष पहले जब अयोध्या संस्करण की नींव रखी गई थी, तब यह सिर्फ एक प्रकाशन का विस्तार नहीं था, बल्कि क्षेत्र की आवाज को एक सशक्त मंच देने का प्रयास था। सीमित संसाधनों और चुनौतियों के बीच शुरू हुई यह यात्रा आज एक मजबूत पहचान बना चुकी है।

अयोध्या ने इन वर्षों में तेजी से बदलाव और विस्तार देखा है। धार्मिक, सांस्कृतिक और बुनियादी ढांचे के स्तर पर यह क्षेत्र देश के प्रमुख केंद्रों में शामिल हुआ है। ऐसे दौर में 'भारतीय बस्ती' के अयोध्या संस्करण ने न केवल इन परिवर्तनों को दर्ज किया, बल्कि उन्हें समझने और समाज के सामने संतुलित रूप में रखने का काम भी किया। शहर के विकास, स्थानीय मुद्दों, आम जन की समस्याओं और प्रशासनिक फैसलों—हर पहलू को इस संस्करण ने गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ उठाया।

पत्रकारिता के माध्यम से इस संस्करण ने क्षेत्रीय सरोकारों को प्रमुखता दी। ग्रामीण अंचलों से लेकर शहर तक, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक बदलाव जैसे विषयों को लगातार प्रमुखता मिली। यही कारण है कि 'भारतीय बस्ती' केवल एक अखबार नहीं रहा, बल्कि अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में जनभावनाओं का एक विश्वसनीय दस्तावेज बनकर उभरा। उनकी पत्रकारिता में खबर सिर्फ सूचना नहीं होती थी, बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति की आवाज होती थी, जिसे अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। उन्होंने 'भारतीय बस्ती' को जिस प्रतिबद्धता, ईमानदारी और जनपक्षधरता के साथ खड़ा किया, वही इसकी असली पूंजी बनी। उनकी अनुपस्थिति में यह दूसरा वर्ष हमें यह एहसास कराता है कि किसी व्यक्ति का जाना केवल एक शारीरिक दूरी नहीं होती, बल्कि वह एक ऐसी जगह छोड़ जाता है, जिसे भरना आसान नहीं होता। लेकिन यही वह क्षण भी होता है, जब उनकी दी हुई सीख, उनके मूल्य और उनके आदर्श हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हैं।

इसी कड़ी में यह उल्लेख करना जरूरी है कि उनके सपनों और विचारों को अब उनके परिवार की अगली पीढ़ी पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। उनके पुत्र और 'भारतीय बस्ती' के संपादक प्रदीप चंद्र पाण्डेय ने जिस जिम्मेदारी और संतुलन के साथ अखबार की कमान संभाली है, वह संस्थापक की सोच का स्वाभाविक विस्तार है। वहीं उनके पौत्र वागार्थ सांकृत्यायन नए दौर की चुनौतियों और संभावनाओं को समझते हुए इस विरासत को डिजिटल और आधुनिक माध्यमों में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। यह केवल उत्तराधिकार नहीं, बल्कि विचारों की निरंतरता है, जहां परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चल रही है। भानु प्रताप सिंह पूरी निष्ठा के साथ दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।

आज के दौर में, जब छोटे और मझोले समाचार पत्र लगातार बंद हो रहे हैं, ऐसे समय में 'भारतीय बस्ती' का निरंतर आगे बढ़ना अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह यात्रा केवल संसाधनों के बल पर नहीं, बल्कि जनसहयोग और पाठकों के विश्वास पर आधारित है। इसे चाहने वाले पाठकों और शुभेच्छुओं की एक सुदीर्घ परंपरा ही इसकी असली ताकत है, जो हर परिस्थिति में इसे संबल देती रही है।

समय के साथ पत्रकारिता का स्वरूप भी तेजी से बदला है और इसके सामने नई किस्म की चुनौतियां खड़ी हुई हैं। आज का दौर केवल खबर देने का नहीं, बल्कि उसे सत्यापित करने और जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत करने का भी है। नई तकनीकों ने काम को जहां आसान बनाया है, वहीं जटिलताएं भी बढ़ाई हैं। सोशल मीडिया के इस संक्रमणकाल और सूचनाओं की बाढ़ के बीच अपने सिद्धांतों पर कायम रहना आसान नहीं, लेकिन यही सच्ची पत्रकारिता की पहचान भी है। इसके साथ ही, 'भारतीय बस्ती' के पास नई पीढ़ी का वह सशक्त समूह है, जो आधुनिक सूचनातंत्र और नवीनतम तकनीकों से लैस है। यही नई पीढ़ी यह भरोसा दिलाती है कि चुनौतियां चाहे जितनी भी हों, यह अखबार अपने मूल्यों और लक्ष्य के साथ निर्भीकता से आगे बढ़ता रहेगा। अयोध्या—फैजाबाद जैसे क्षेत्र में पत्रकारिता करना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है। यहां की हर हलचल, हर निर्णय और हर बदलाव व्यापक प्रभाव रखता है। ऐसे में इस संस्करण की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह निष्पक्षता और सच्चाई के साथ हर मुद्दे को सामने लाए।

यह समय केवल स्मरण का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी को और गहराई से समझने का भी है। 'भारतीय बस्ती' की यह यात्रा अब एक सामूहिक जिम्मेदारी बन चुकी है। यह केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी टीम की प्रतिबद्धता का परिणाम है कि अखबार अपने मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। पाठकों का विश्वास, सहयोगियों का समर्पण और संस्थापक की विरासत—इन्हीं स्तंभों पर यह सफर आगे बढ़ रहा है।'भारतीय बस्ती' अपनी हर खबर और हर शब्द में उस सोच को जीवित रखने का प्रयास करता रहेगा, जिसने इसे एक पहचान दी। यही उस विरासत का स्वाभाविक विस्तार है, जो समय के साथ और मजबूत होती जाती है।—**राहुल**

राजधानी दिल्ली की सेंट्रल विस्टा परियोजना और हरियाली का सवाल

—अखिल कुमार यादव—

देश की राजधानी दिल्ली में चल रही सेंट्रल विस्टा परियोजना को आधुनिक भारत के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्निर्माण की एक महत्वाकांक्षी पहल के रूप में देखा जा रहा है। नई संसद, विस्तृत कर्तव्य पथ और सरकारी भवनों के पुनर्संयोजन के साथ यह परियोजना भारत की संस्थागत क्षमता और आधुनिकता का प्रतीक बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन इस विकास की कहानी के समानांतर एक और कथा उभरकर सामने आई हैकृपेड़ों की, पर्यावरण की, और उन सवालों की जो विकास की दिशा और तरीके दोनों पर पुनर्विचार करने को मजबूर करते हैं।

हाल ही में सरकार ने लोकसभा में यह स्वीकार किया कि इस परियोजना के तहत स्थानांतरित किए गए 3,609 पेड़ों में से 1,545 पेड़ जीवित नहीं रह सके। यानी लगभग 43 प्रतिशत पेड़ों का नष्ट हो जाना। यह केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि एक गंभीर संकेत है कि पर्यावरणीय प्रबंधन और क्रियान्वयन के स्तर पर कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है। सामान्यतः पेड़ों के ट्रांसलोकेशन को एक संवेदनशील और जटिल प्रक्रिया माना जाता है, जिसमें वैज्ञानिक योजना, समय का चुनाव, मिट्टी और जलवायु की अनुकूलता तथा दीर्घकालिक देखभाल जैसे कारक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि यह प्रक्रिया पूरी सावधानी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाए, तो 60 से 70 प्रतिशत तक सफलता दर संभव मानी जाती है। ऐसे में 43 प्रतिशत पेड़ों का जीवित न रह पाना इस परियोजना के निष्पादन की गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। पेड़ों को केवल हरियाली का प्रतीक मान लेना एक बड़ी भूल होगी। एक परिपक्व पेड़ दशकों की प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम होता है। वह न केवल ऑक्सीजन का स्रोत होता है, बल्कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है, तापमान को संतुलित करता है, वर्षा चक्र को प्रभावित करता है और शहरी जीवन को अधिक सहनीय बनाता है। दिल्ली जैसे महानगर में, जहां पहले से ही ध्रुवर्तन हीट आइलैंड इफेक्टष् की समस्या गंभीर है, बड़े पैमाने पर पेड़ों का नुकसान सीधे—सीधे तापमान वृद्धि, हीटवेव की तीव्रता और वायु गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। यह प्रभाव केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है।

इसके साथ ही जैव विविधता का पहलू भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक पुराना पेड़ केवल लकड़ी या पत्तियों का ढांचा नहीं होता, बल्कि वह पक्षियों, कीटों, गिलहरियों और अनेक सूक्ष्म जीवों का आश्रय स्थल होता है। एक पेड़ के नष्ट होने का अर्थ है एक छोटे पारिस्थितिकी तंत्र का समाप्त हो जाना। इस दृष्टि से देखें तो 1,545 पेड़ों का नष्ट होना केवल संख्या का नुकसान नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटे—छोटे जीवन तंत्रों का भी विनाश है। सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया है कि इन पेड़ों की भरपाई के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है, जिस पर करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं। लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल उठता हैकृक्या नए लगाए गए पौधे उन वर्षों पुराने पेड़ों की बराबरी कर सकते हैं? एक पौधे को उस स्तर तक पहुंचने में दशकों का समय लगता है, जहां वह एक परिपक्व पेड़ के समान पर्यावरणीय लाभ प्रदान कर सके। ऐसे में वृक्षारोपण को ष्तत्काल भरपाईष् के रूप में प्रस्तुत करना भ्रामक हो सकता है। यह एक दीर्घकालिक निवेश है, जिसका परिणाम वर्षों बाद सामने आता है, बशर्ते पौधों की उचित देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया में वित्तीय जवाबदेही का प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब करोड़ों रुपये सार्वजनिक धन वृक्षारोपण और पर्यावरणीय प्रबंधन पर खर्च किए जाते हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि उसके परिणामों का पारदर्शी और स्वतंत्र मूल्यांकन भी किया जाए। केवल यह बताना पर्याप्त नहीं है कि कितने पौधे लगाए गए असली सवाल यह है कि उनमें से कितने जीवित हैं और कितने आने वाले वर्षों में टिक पाएंगे। 'प्लांटेशन काउंट' के बजाय 'सर्वाइवल रेट' को सफलता का मुख्य पैमाना बनाया जाना चाहिए।

यह स्थिति हमें नीति निर्माण और क्रियान्वयन के स्तर पर सुधार की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। सबसे पहले, किसी भी बड़े बुनियादी ढांचा परियोजना से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) को और अधिक कठोर तथा स्वतंत्र बनाना होगा। इसमें केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि वास्तविक प्रभावों का वैज्ञानिक विश्लेषण और वैकल्पिक उपायों की तलाश शामिल होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, पेड़ों के ट्रांसलोकेशन जैसी प्रक्रियाओं के लिए विशेषज्ञ संस्थानों की निगरानी और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। दीर्घकालिक समाधान के रूप में 'ग्रीन बजटिंग' की अवधारणा को भी अपनाया जा सकता है, जिसमें हर विकास परियोजना के साथ उसके पर्यावरणीय प्रभाव और उसके शमन (उपजपहंजपवद) के लिए अलग से बजट और लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। साथ ही, लगाए गए पौधों की कम से कम 5 से 10 वर्षों तक नियमित निगरानी अनिवार्य की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे केवल कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर भी जीवित हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जनभागीदारी की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि स्थानीय नागरिकों, स्कूलों, स्वयंसेवी संगठनों और समुदायों को वृक्षारोपण और संरक्षण से जोड़ा जाए, तो यह केवल सरकारी कार्यक्रम न रहकर एक सामाजिक आंदोलन बन सकता है। 'पेड़ लगाओ' से आगे बढ़कर 'पेड़ बचाओ' की संस्कृति विकसित करना आज की आवश्यकता है।

कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से भी यह मामला महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कानूनों और दिशानिर्देशों का पालन केवल कागजी औपचारिकता न होकर वास्तविकता में भी दिखना चाहिए। यदि कहीं लापरवाही या चूक हुई है, तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। विकास परियोजनाएं केवल संरचनात्मक उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उनके सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों से भी आंकी जानी चाहिए। भारत जैसे विशाल और विविध देश में विकास की आवश्यकता से इंकार नहीं किया जा सकता। बढ़ती आबादी, शहरीकरण और प्रशासनिक जरूरतों के चलते बुनियादी ढांचे का विस्तार अनिवार्य है। लेकिन यह विस्तार तभी सार्थक होगा जब वह प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर किया जाए। यदि विकास की कीमत पर्यावरण के रूप में चुकानी पड़े, तो यह एक असंतुलित और अल्पकालिक दृष्टिकोण होगा। सेंट्रल विस्टा परियोजना के पेड़ों का यह मुद्दा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम विकास की परिभाषा को सही ढंग से समझ रहे हैं। क्या केवल भव्य इमारतें और चौड़ी सड़कें ही प्रगति का प्रतीक हैं, या फिर स्वच्छ हवा, संतुलित तापमान और जैव विविधता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं? यह प्रश्न केवल सरकार के लिए नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए है।

अंततः, यह मामला एक चेतावनी के रूप में सामने आता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ समझौता कर किया गया विकास स्थायी नहीं हो सकता। यदि हमें एक ऐसा भविष्य चाहिए जो सुरक्षित, संतुलित और समृद्ध हो, तो हमें विकास और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना ही होगा। अन्यथा, आज के ये आंकड़े कल की बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों का संकेत बन सकते हैं। विकास आवश्यक है, लेकिन वह तभी सार्थक है जब वह प्रकृति के साथ चलकर आगे बढ़े क्योंकि यदि हरियाली ही नहीं बचेगी, तो विकास की यह चमक भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी।

समय के साथ युद्ध के बदलते रूप

—ले. जर्नल एसएस मेहता—

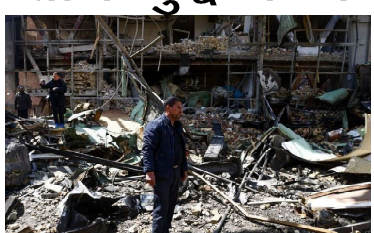

रणनीति का अर्थ अंतहीन युद्ध कभी नहीं रहा बल्कि उद्देश्य, क्रियान्वयन और समाप्ति के निर्णय किये जाते थे। लेकिन आज संघर्ष शुरू होते हैं तो लगता है रणनीतिकार युद्ध समाप्ति की कला भूल गये। पश्चिम एशिया में युद्ध के चलते अस्थिरता का माहौल है। रणनीति के इस भटकाव की कीमत कौन चुकाएगा।

आजकल युद्ध खत्म नहीं होते। खिंचते जाते हैं, अपना स्वरूप बदल रहे हैं और खुद को जायज ठहराते हैं। यह रणनीति नहीं है। यह रणनीतिक रूपरेखा की असफलता है। मैंने युद्धों को खत्म होते देखा,और उन्हें खत्म होने से इनकार करते भी। सेना में, हमें युद्ध शुरू करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। हम आरंभिक व्यूह रचना, जोरदार हमले, शत्रु का घेरा तोड़ने व इच्छाशक्ति कुचलने का अध्ययन करते हैं। युद्ध का विस्तार करना समझते हैं। लेकिन एक अन्य शांत अनुशासन है जो कभी रणनीति को परिभाषित करता था, लेकिन अब धीरे—धीरे धुंधला रहा है। वह है, रुकने की कला।

जिन संघर्षों का अंत बढ़िया हुआ, उनकी संरचना सीधी—सादी थी। दुश्मन को पूरी तरह मिटाना नहीं, बल्कि उद्देश्य में स्पष्टता रखना। तब, किसी में इतनी हिम्मत होती थी कि वह फैसला कर सके कि मिशन पूरा हो गया है। इसलिए नहीं कि दुश्मन का खात्मा हो गया, बल्कि इसलिए कि काम पूरा हो गया था। बल का इस्तेमाल हुआ। तयशुदा सीमा तक पहुंचे। फिर आया सबसे मुश्किल आदेश रु रुको। घर वापसी करो। आज, वह माद्दा गायब है। कोई फैसला नहीं करता। संघर्ष खिंचते रहते हैं। बिना किसी तय अंत वाला युद्ध कोई अभियान नहीं होता। यह तो जान—माल की हानि के साथ भटकाव है।

भारत का गोल्ड स्टैंडर्ड (सर्वोच्च मानक) रु हमें किसी मानक की तलाश करने की जरूरत नहीं है। साल 1971 में, भारत ने आधुनिक इतिहास के सबसे निर्णायक अभियानों में से एक को अंजाम दिया। यह सिर्फ जीत नहीं थी। यह उसके बाद बरते गए संयम का उदाहरण था। हम वहां रुके नहीं रहे। हमने अपनी जीत को कब्जे में नहीं बदला। हमें भान था कि 'पूरा हुआ काम' कैसे दिखता है।

1988 में मालदीव में, हमने दखल दिया, व्यवस्था बहाल की और वापसी कर ली। पीछे कुछ बाकी नहीं छोड़ी। कोई अन्य एजेंडा नहीं। प्रभाव अधिकतम, दखल न्यूनतम। यहां तक कि श्रीलंका में भी, जहां पर हालात बहुत पेचीदा थे, हमने तब पीछे हटने का अनुशासन दिखाया, जब हमें लगा कि अब वहां से कुछ खास हासिल नहीं होने वाला। भारत का संयम सिर्फ इसमें नहीं था कि उसने क्या किया, बल्कि इस बात में भी था कि उसने किन चीजों पर हमला न करना चुना। बुनियादी ढांचे को कभी भी निशाना नहीं बनाया। इसी आधारभूत ढांचे पर किसी भी समाज का जीवन टिका होता है। इसे तबाह करने का मतलब है, उन्हीं लोगों को सजा देना जिनके नाम पर अक्सर युद्धों को सही ठहराया जाता है। इसी अनुशासन ने हमारी वैधता को बनाए रखा। 'ऑपरेशन सिंदूर' पर गौर कीजिए। सटीक। तय परिधि में। उद्देश्यपूर्ण। लक्ष्य हासिल। काम पूरा। और फिर रुक जाना। हरेक मामले में, परिणामों ने साधनों को परिभाषित किया। लेकिन अब साधन खुद मकसद बनने का जोखिम उठा रहे हैं।

सिद्धांत के रूप में भटकाव रु हम इसे 'हाइब्रिड वॉर', ग्रे जोन या सोच—समझकर पैदा की गई अस्पष्टता कहते हैं। धरातल पर यह सरल दिखता है। सिद्धांत के आवरण में भटकाव। पश्चिम एशिया में, उद्देश्य बदलते रहते हैं जबकि युद्ध जारी है। कोई दिन निर्णायक जीत मिलने का अहसास करवाता है। अगले रोज लगता है लड़ाई अब लंबी खिंचेगी। बातचीत, विराम और तनाव इस कदर गडमड हो जाते हैं कि शब्दों का अर्थ ही समाप्त हो जाए।

यूरोप में, संघर्ष वर्षों तक खिंच गया। उद्देश्यों पर भ्रू—राजनीति की कई परतें चढ़ती गईं व स्पष्टता गायब हो गई। लड़ाई इसलिए जारी नहीं है कि अंतिम लक्ष्य परिभाषित है, बल्कि इसलिए कि कोई इसे परिभाषित नहीं कर रहा। संघर्ष खुद—ब—खुद खिंचता जा रहा है।

आमजन पर असर की हकीकत रु रणनीति यह भूल जाती है कि इस भटकाव की कीमत कौन चुकाएगा। रणनीतिकार मैदान ए जंग की बातें करता है। नागरिक इसकी अवधि की कीमत चुकाता है। चाय की दुकान पर बैठा व्यक्ति सिद्धांत नहीं पढ़ा होता। वह तो बाधित हुई आपूर्ति श्रृंखलाओं से बढ़ती कीमतों का दंश झेलता है, जो कभी स्थिर नहीं होतीं क्योंकि युद्ध अंतहीन हो चले हैं। वे अपने परिवारों को युद्धक्षेत्रों में फंसा हुआ पाता है जहां से निकलने की कोई राह नहीं। वह उस अनिश्चितता के साथ जीता है जो राष्ट्र की सोच में रम जाती है।

जब युद्ध का कोई निश्चित समय होता है, तो समाज संगठित होता है और उबरता है। जब नहीं तो होता, तो अर्थव्यवस्था और भावनाएं उसी के अनुरूप आकार लेने लगती हैं। यदि सफलता को परिभाषित न किया जाए, तो वह कभी प्राप्त ही नहीं होती। असफलता तब स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है।

क्षमता का विरोधाभास — संघर्ष समाप्त करने के लिए हमारे पास पहले से कहीं अधिक संसाधन हैं, फिर भी हम उन्हें समाप्त करने में असमर्थ हैं। ड्रोन, साइबर ऑपरेशन और सटीक हमले घोषित युद्ध से इतर दबाव डालने का जरिया बन गए हैं। हम अनिश्चित काल तक न तो शांति और न ही युद्ध की स्थिति बनाए रख सकते हैं। यह एक तरह का जाल है। क्षमता ने निर्णय लेने की शक्ति का स्थान ले लिया है। युद्ध रोकने को जवाबदेही की आवश्यकता पड़ती है। बताने की जरूरत पड़ती है कि क्या पाया और क्या खोया। इसके लिए जिम्मेवारी लेने की जरूरत होती है। किसी नतीजे की घोषणा करने के मुकाबले में यह कह देना आसान है कि परिस्थिति स्वरूप बदल रही है।

बल का मापन — बल प्रयोग स्पष्टता और उद्देश्य के साथ किया जाए। लेकिन इसकी वैधता विवेक पर आधारित है। यदि एक थप्पड़ ही काफी है, तो लाठी क्यों? यदि उद्देश्य सुधारना है, तो एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरे वर्ग को दंड क्यों? बुनियादी ढांचा युद्धक्षेत्र नहीं होता। यह समाज की जीवनधारा होता है। इस पर चोट करने से आप युद्ध को आकार नहीं दे रहे, बल्कि भविष्य को सजा दे रहे हैं। बल का प्रत्येक प्रयोग न केवल लक्षितों पर, बल्कि खुद आरंभकर्ता पर भी असर छोड़ता है। अतिरेक स्मृति, धारणा और प्रतिरोध को आकार देता है। तात्कालिक जो भी लाभ होता है वह अक्सर वैधता में खो जाता है। संतुलित प्रतिक्रिया व्यवहार सुधारती है। अंधाधुंध प्रतिक्रिया पीढ़ियों को घाव देता है जो बार—बार लौट आते हैं।

मानवता बतौर वैश्विक संसाधन रु कोविड—19, जलवायु परिवर्तन और युद्धों ने एक सरल सत्य उजागर किया। किसी भी संकट का असर स्थानीय नहीं रह सकता। एक क्षेत्र में हो रहा युद्ध महाद्वीपों भर में भोजन, ईंधन, व्यापार और भरोसे को बाधित कर देता है। मानवता अब परम वैश्विक साझा संसाधन है। यह घोषणाओं पर नहीं, बल्कि कृत्यों में संयम पर टिकी है। यदि यह भंग हो जाए तो, बचाव का कोई क्षेत्र बाकी नहीं रहता। युद्ध से पहले ही युद्ध जीता जाना चाहिए। और यदि यह संभव न हो, तब विनाश करने की रणनीति बनाएं।

कानून जो हमने कभी सुधारे नहीं रु युद्ध कभी भी कानूनविहीन नहीं रहा। इसकी हमेशा सीमाएं रही हैं। जिनेवा सम्मेलनों ने आधारेखा स्थापित की —घायलों की रक्षा। युद्धबंदियों को बचाना, नागरिकों को अभयदान। लड़ाकू और गैर—लड़ाकू में अंतर। अतिरिक्त आचार संहिता—1 में माना गया कि युद्ध का स्वरूप बदल रहा है। नागरिक अब रणक्षेत्र से अधिक दूर नहीं रहे। भेद और आनुपातिकता वैधता के केंद्र में आ गए। नागरिक परिसरों पर हमला न किया जाए। जीवन—निर्वाह के लिए भोजन, पानी और आवश्यक बुनियादी ढांचे जैसी प्रणालियों को निशाना न बनाया जाए।

डिजिटल राजनैतिक प्रचार और नैतिकता

—डॉ. शैलेश शुक्ला—

राजनीतिक प्रचार उतना ही पुराना है जितनी कि राजनीति स्वयं। प्राचीन रोम में दीवारों पर संदेश लिखे जाते थे। मध्यकाल में राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन भव्य स्मारकों और अनुष्ठानों के माध्यम से करते थे। बीसवीं सदी में रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्र राजनीतिक प्रचार के मुख्य माध्यम बने। लेकिन इन सभी युगों में एक बात साझी थी प्रचार की एक सार्वजनिक दृश्यता और उसके साथ एक निहित जवाबदेही। आज, डिजिटल राजनीतिक प्रचार ने इस जवाबदेही की अवधारणा को ही उलट दिया है। जब प्रचार अदृश्य हो, व्यक्तिगत हो, तात्कालिक हो, और किसी भी तथ्यात्मक जाँच से मुक्त हो कृ तो प्रश्न उठता है कि क्या इसकी कोई नैतिक सीमा है? और यदि है, तो उसे कौन तय करेगा और कौन लागू करेगा?

नैतिकता के प्रश्न पर विचार करने से पहले यह स्वीकार करना आवश्यक है कि राजनीतिक प्रचार और राजनीतिक संवाद के बीच की रेखा स्पष्ट नहीं है। हर राजनेता अपने विचारों को श्रेष्ठ और विरोधी के विचारों को निकृष्ट प्रस्तुत करता है कृ यह राजनीति का स्वाभाविक अंग है। नैतिक समस्या तब शुरू होती है जब प्रचार झूठ पर आधारित हो, जब वह लोगों को हेरफेर करे बजाय सूचित करने के, और जब वह समाज में नफरत, विभाजन, या हिंसा को बढ़ावा दे।

डिजिटल राजनीतिक प्रचार की नैतिक समस्याओं की पहली श्रेणी है कृ असत्य और भ्रामक जानकारी का जानबूझकर प्रसार। जब कोई राजनीतिक दल या उसका समर्थक यह जानते हुए कि कोई बात असत्य है, उसे सोशल मीडिया पर फैलाता है ताकि मतदाताओं की राय को प्रभावित किया जा सके कृ यह नैतिक दृष्टि से स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। एमआईटी के 2018 के अध्ययन ने प्रमाणित किया कि असत्य सूचनाएँ ट्विटर पर 70 प्रतिशत अधिक रीट्वीट होती हैं। यह लोकतंत्र की उस बुनियाद पर सीधा हमला है जिसके अनुसार नागरिक सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें।

दूसरी नैतिक समस्या है व्यक्तिगत डेटा का बिना सहमति के राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग। 'कैम्ब्रिज एनालिटिका' प्रकरण इसका सबसे चर्चित उदाहरण है। इस कंपनी ने करीब 87 मिलियन फेसबुक उपयोगकर्ताओं के डेटा का उपयोग करके लोगों के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल बनाए और उनकी कमजोरियों को लक्षित करने वाले राजनीतिक विज्ञापन दिखाए। यह केवल गोपनीयता का उल्लंघन नहीं था कृ यह मानवीय स्वायत्तता और स्वतंत्र इच्छा पर हमला था। जब एक प्रणाली यह तय करने लगती है कि आपके मन में कौन सा डर है और फिर उसी डर को और गहरा करने वाला राजनीतिक संदेश आप तक पहुँचाती है, तो आपकी 'स्वतंत्र पसंद' वास्तव में कितनी स्वतंत्र है?

तीसरी नैतिक समस्या है सांप्रदायिक या जातीय विद्वेष को भड़काने के लिए डिजिटल प्रचार का उपयोग। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के विरुद्ध 2017 में हुई हिंसा में फेसबुक की भूमिका को संयुक्त राष्ट्र की तथ्य—अन्वेषण टीम ने अपनी 2018 की रिपोर्ट में 'निर्णायक' बताया। 700,000 से अधिक रोहिंग्या को बांग्लादेश भागना पड़ा। 2022 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक विस्तृत रिपोर्ट ने भी पुष्टि की कि मेटा के एल्गोरिदम ने रोहिंग्या—विरोधी नफरत भरी सामग्री को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। यह एक चरम उदाहरण है, लेकिन यह दर्शाता है कि डिजिटल राजनीतिक प्रचार में 'नफरत' एक हथियार बन सकती है जिसके परिणाम जीवन और मृत्यु की रेखा तक पहुँच सकते हैं।

नैतिक सीमाओं के प्रश्न पर तीन मुख्य दृष्टिकोण हैं। पहला 'बाजार—आधारित' दृष्टिकोण यह मानता है कि सूचना के मुक्त बाजार में अच्छे विचार बुरे विचारों को हरा देंगे। दूसरा 'सरकार—नियंत्रण' का दृष्टिकोण मानता है कि सरकार को स्पष्ट नियम बनाने चाहिए। तीसरा 'मंच—उत्तरदायित्व' का दृष्टिकोण मानता है कि डिजिटल मंचों को स्वयं अपने नैतिक मानक तय करने और लागू करने चाहिए।

अनियंत्रित होकर पलटी श्रद्धालुओं से भरी स्कार्पियो, चालक की मौत

संवाददाता—महराजगंज। भिटौली थाना क्षेत्र के भैंसा पुल से धरमौली की ओर जाने वाली नहर पटरी पर सोहरौना राजा गांव के समीप मंगलवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी स्कार्पियो अनियंत्रित होकर पहले पेड़ से टकराई और फिर गड्ढे में पलट गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति—पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। अन्य सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार महराजगंज कस्बे के शिवनगर पड़री निवासी रामदयाल वर्मा (54), उनकी पत्नी निर्मला (50), बेटा जितेंद्र (32), बहू रागिनी (30) तथा सतभरिया निवासी संतोष कुमार वर्मा (40) और उनकी पत्नी सुमन (36) बीते शनिवार को पूरे परिवार के साथ देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए गए थे। सोमवार को दर्शन करने के बाद सभी लोग स्कार्पियो से वापस घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि वाहन चालक संतोष कुमार वर्मा लगातार रातभर गाड़ी चलाते हुए आए। मंगलवार सुबह जब वे भिटौली थाना क्षेत्र के सोहरौना राजा गांव के पास पहुंचे, तभी उन्हें झपकी आ गई। इससे गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकराई और गड्ढे में पलट गई।

हादसे में कार के नीचे दबने से चालक संतोष कुमार वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रामदयाल वर्मा और उनकी पत्नी निर्मला गंभीर रूप से घायल हो गए। अन्य लोगों को हल्की चोटें आईं। घटना के बाद मौके पर चीख—पुकार मच गई। आसपास के लोगों और राहगीरों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने संतोष कुमार वर्मा को मृत घोषित कर दिया।

गंभीर रूप से घायल रामदयाल और निर्मला को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। भिटौली थाना प्रभारी मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

ट्रैक्टर—ट्रॉली पलटने से किशोर की मौत, चार घायल

संवाददाता—देवरिया। थाना क्षेत्र स्थित ग्राम परसिया देवार के राजपुर धोबी टोला के निकट मंगलवार को दिन में करीब साढ़े तीन बजे ट्रैक्टर—ट्राली पलटने से एक किशोर की मौत हो गई जबकि चार लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज मधुबन सीएचसी पर हुआ। राजपुर बनिया टोला निवासी गणेश चौहान (18) पुत्र हरेंद्र चौहान ट्रैक्टर चलाता है। मंगलवार को गांव के ही एक किसान की गेहूं की मड़ाई के बाद उसका अनाज गिरा कर लौट रहा था। ट्रैक्टर पर प्रिंस कुमार (14) पुत्र जयप्रकाश, निकेश कुमार (14) पुत्र लाल साहब, अमन शर्मा (18) पुत्र संतोष, सूरज कुमार (13) पुत्र वीरेंद्र यादव भी सवार थे।

रफ्तार तेज होने के चलते राजपुर धोबी टोला के निकट अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्राली सहित तटबंध से नीचे पलट गया। घटना में ट्रैक्टर पर सवार सभी पांच लोग घायल हो गए। आसपास के लोगों ने सभी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सक ने प्रिंस को मृत घोषित कर दिया जबकि अन्य घायलों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। प्रिंस के मौत का समाचार मिलते ही घर में कोहराम मच गया।

मुकदमा दर्ज कराने की धमकी पर भड़के पूर्व मंत्री, पुलिस से जमकर हुई झड़प

संवाददाता—देवरिया। पुलिस के मुकदमा दर्ज कराने की धमकी से पूर्व मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी भड़क उठे। पुलिस एवं पूर्व मंत्री सहित सपा कार्यकर्ताओं से जमकर झड़प हुई। ब्रह्मा शंकर के तेवर से प्रशासन के लोग सहम गए। एक घंटे तक मान मनौवल के बाद मामला शांत हुआ। तब जाकर देवरिया कसया मार्ग पर आवागमन बहाल हुआ। तरकुलवा थाना क्षेत्र के बालपुर श्रीनगर के रहने एक व्यक्ति की भूमि थी।मृत्युपरांत के उपरांत किसी ने जमीन अपने नाम करा लिया। बाद में बेच दिया। खरीदने वाले व्यक्ति ने भूमि अपने नाम करा लिया। एक सप्ताह पूर्व खरीदने वाले व्यक्ति द्वारा जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। जिसको प्रथम पक्ष द्वारा फर्जी तरीके से बैनामा कराने का आरोप लगाते हुए कब्जा दखल से रोक दिया, जिसको लेकर जमकर बवाल हुआ। मौके पर नायब तहसीलदार सहित तरकुलवा पुलिस भी पहुंची थी और कुछ लोगों को मारपीट कर बंद कर दिया था। इसी बीच पीड़ित पूर्व मंत्री के पास पहुंचे।

मंगलवार को मौके पर पहुंच पूर्व मंत्री ने धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तथा पुलिस द्वारा जातीयता करने के मामले को लेकर सभा करने लगे। उन्होंने कहा कि मामले में दोषियों के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा यह लड़ाई लंबी होगी। अब याचना नहीं अब रण होगा। जब तक सांस रहेगा कार्यकर्ताओं के लिए और अन्याय के विरुद्ध गोली खाने को तैयार हूं।यह कहकर उन्होंने पीड़ित सहित अन्य सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसी बीच तरकुलवा थाने के की पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने पूर्व मंत्री से बिना परमिशन सभा न करने तथा चले जाने की अपील की। न मानने पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी। इसी बात पर पूर्व मंत्री भड़क उठे और पुलिस से झड़प होने लगी। तब तक सपा कार्यकर्ता उग्र हो गए और जमकर हाथापाई और कहा सुनी होने लगी ।मामले को लेकर आधे घंटे तक देवरिया कसया मार्ग पर मजमा लग रहा। काफी देर के बाद पूर्व मंत्री देवरिया चले गए और तरकुलवा पुलिस ने स्थानीय स्तर पर लोगों को समझा बुझाकर मौके से हटावाया तब जाकर मामला शांत हुआ। इस मामले में पूर्व मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि भू माफियाओं द्वारा जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम कराया गया है, जिसको लेकर मैं प्रशासन से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग कर रहा था। इसी दौरान थाने के एक दीवान ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करने की धमकी देने लगा। जिससे कार्यकर्ता आग बबूला हो गए। दूसरे पक्ष का आरोप है कि नियमानुसार बैनामा कराकर जमीन पर निर्माण करने के लिए ईंट गिराया गया था। प्रथम पक्ष के लोगों ने ईट ने चोरी कर ली है तथा जानमाल की धमकी दे रहे हैं। पूर्व मंत्री के साथ पूर्व एमएलसी राम अवध यादव, पूर्व ब्लाक प्रमुख अभिषेक त्रिपाठी,पूर्व जिला पंचायत सदस्य ओम प्रकाश यादव, सुभाष पाठक, डॉ. संजीव राव, सत्य प्रकाश यादव, अदालत यादव, ब्रह्मदेव कुशवाहा, राम प्रताप सिंह, जितेंद्र बहादुर राव, रविंद्र यादव, जनार्दन, बड़े दुबे, अशोक दुबे, राम सकल यादव, सरफराज अहमद, राणा प्रताप, विकास दुबे, दिलीप दुबे सहित सैकड़ो के तादाद में कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रभारी थानाध्यक्ष संजय सिंह चंदेल ने बताया कि विवादित भूमि पर कोई ईट रखा था। जिसको चोरी से ले जाने की सूचना मिली थी।जिस पर पुलिस गई थी। इसी दरमियान पूर्व मंत्री व उनके कार्यकर्ता बिना परमिशन सभा कर रहे थे। विरोध करने पर आग बबूला हो गए और झड़प करने लगे।

कार्यालय ग्राम पंचायत बढ़या/गिधनी वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बढ़या/गिधनी** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी—जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026—27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **बढ़या/गिधनी** के निविदा बाक्स में दिनांक 16—04—2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000—00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 08—04—2026 से दिनांक 15—04—2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1— जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2— आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3— कार्यालय ग्राम पंचायत **बढ़या/गिधनी** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4— सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **बढ़या/गिधनी** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5— जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6— सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7— सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8— प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9— आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10— धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **बढ़या/गिधनी** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11— आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12— ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13— आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14— निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15— सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16— निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(कंचन सिंह) प्रधान, ग्राम पंचायत—**बढ़या/गिधनी** | (अनिल कुमार) सचिव, ग्राम पंचायत—**बढ़या/गिधनी**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 07.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत हलुआपार वि.खं. बस्ती सदर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **हलुआपार** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी—जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026—27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **हलुआपार** के निविदा बाक्स में दिनांक 07—04—2026 तक अपरान्ह 02:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 03:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000—00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 02—04—2026 से दिनांक 06—04—2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1— जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2— आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3— कार्यालय ग्राम पंचायत **हलुआपार** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4— सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **हलुआपार** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5— जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6— सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7— सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8— प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9— आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10— धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **हलुआपार** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11— आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12— ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13— आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14— निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15— सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16— निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(विनोद कुमार) प्रधान, ग्राम पंचायत—हलुआपार | (फैज अहमद) सचिव, ग्राम पंचायत—हलुआपार

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 2.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत-बचड़ी वि0ख0 -नौगढ़, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बचड़ी** विकास खण्ड नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पंद्रहवां वित्त/पंचम राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त/वीबी—जीरामजी/ स्वच्छ भारत मिशन एवम अन्य शासकीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृति तथा कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु इंटरलाकिंग प्रथम श्रेणी ईट, बालू, सीमेन्ट, मोरंग, सरिया, पेन्ट, वायरिंग, पत्थर की गिट्टी, टाइल्स, हियूमपाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, हार्डवेयर, सफाई कर्मी, गोवंश भरण—पोषण, हेतू भूसा दाना, टूल किट, इण्डिया मार्का पम्प, मरम्त, रिबोर पंचायत भवन निर्माण व मरम्मत व सार्वजनिक स्थान पर बैठने हेतु बेंच निर्माण ग्राम पंचायत में उपस्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत/सामुदायिक शौचालय मरम्मत व निर्माण, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धक (एस0एल0डब्लू0एम0), इलेक्ट्रानिक मटेरियल आदि समानो की व समय समय पर आवश्कतानुसार कार्य करने सम्बंधित सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदा सत्र 2026—27 हेतु आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनाँक 17—04—2026 को अपरान्ह 02.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा तथा वाछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय **बचड़ी** के निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। और उसी दिन दिनांक 17.04.2026 को 03:00 बजे ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेन्डर खोला जायेगा तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मूल्य 5000— रुपये होगी।

नियम व शर्तें

1—जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगी, वही निविदा स्वीकृति की जायेगी ।
2—आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकरदाता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3—सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में कार्य स्थल पर ही करनी होगी।
4— जो दरे प्रस्तुत की जाये वह जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाये।
5— सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जायेगी।
6— सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
7— ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सचिव/सदस्य/बीडीसी/जिला पंचायत सदस्य/ तकनीकी सहायक/रोजगार सेवक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बंधित एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी। उक्त आशय की नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
8— निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियंता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।
9— आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। आपूर्ति हेतु सम्बंधित के पास डीलरशिप/एजेंसी होना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति हेतु खरीदी गयी सामग्री का पक्का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10— निविदा फॉर्म ग्राम पंचायत **बचड़ी** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 (एक सौ) रुपया है पर ही स्वीकार किया जायेगा। अन्य जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय **बचड़ी** से प्राप्त की जा सकती है।

ग्राम प्रधान—बीर बहादुर यादव, ग्राम पंचायत—**बचड़ी**, विकास खण्ड—**नौगढ़**, जनपद —सिद्धार्थनगर | **सचिव—विमल कान्त**, ग्राम पंचायत—**बचड़ी**, विकास खण्ड—**नौगढ़**, जनपद —सिद्धार्थनगर

कार्यालय ग्राम पंचायत बंजरिया वि.खं. सल्टौआ गोपालपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बंजरिया** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी—जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि / अन्त्येष्टि स्थल का विकास/ मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026—27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **बंजरिया** के निविदा बाक्स में दिनांक 16—04—2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000—00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 08—04—2026 से दिनांक 15—04—2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1— जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2— आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3— कार्यालय ग्राम पंचायत **बंजरिया** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4— सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **बंजरिया** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5— जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6— सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7— सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8— प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9— आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10— धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **बंजरिया** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11— आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12— ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13— आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14— निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15— सामग्री / उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16— निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(सोनम वर्मा) प्रधान, ग्राम पंचायत—**बंजरिया** | (मुहम्मद शकील) सचिव, ग्राम पंचायत—**बंजरिया**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 07.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत माझा वि.खं.कप्तानगंज, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **माझा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी—जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026—27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **माझा** के निविदा बाक्स में दिनांक 16—04—2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000—00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 08—04—2026 से दिनांक 15—04—2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1— जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2— आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3— कार्यालय ग्राम पंचायत **माझा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4— सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **माझा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5— जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6— सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7— सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8— प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9— आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10— धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **माझा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11— आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12— ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13— आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14— निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15— सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16— निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(साहिददीन निषाद) प्रधान, ग्राम पंचायत—माझा | (उदितांश शुक्ला) सचिव, ग्राम पंचायत—माझा

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 07.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत रेवली वि.खं. बस्ती सदर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **रेवली** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी—जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026—27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **रेवली** के निविदा बाक्स में दिनांक 17—04—2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000—00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 08—04—2026 से दिनांक 16—04—2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1— जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2— आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3— कार्यालय ग्राम पंचायत **रेवली** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4— सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **रेवली** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5— जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6— सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7— सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8— प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9— आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10— धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **रेवली** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11— आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12— ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13— आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14— निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15— सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16— निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(उर्मिला देवी) प्रधान, ग्राम पंचायत—रेवली | (सुमन देवी) सचिव, ग्राम पंचायत—रेवली

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 07.04.2026

स्मार्ट मीटर के विरोध में सपाइयों का प्रदर्शन

संवाददाता–संतकबीरनगर। मंगलवार को खलीलाबाद के कलेक्ट्रेट परिसर में उपभोक्ताओं और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटरों के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें स्मार्ट मीटर व्यवस्था को तत्काल बंद कर पुराने पारंपरिक मीटरों को फिर से लागू करने की मांग की गई।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से उपभोक्ताओं को कई व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सपा वक्ताओं ने स्मार्ट मीटर में रीडिंग और बिलिंग की पारदर्शिता पर गंभीर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह नई प्रणाली गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है। कार्यकर्ताओं ने शिकायत की कि मीटर की तेज रीडिंग के कारण बिजली बिलों में लगातार अनियमित वृद्धि हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं की सहमति के बिना पारंपरिक मीटर हटाना उनके अधिकारों का उल्लंघन है। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी से जनहित में स्मार्ट मीटरों को तत्काल हटाकर पारंपरिक मीटर प्रणाली को पुनः लागू करने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो समाजवादी कार्यकर्ता व्यापक जनआंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होंगे। इस प्रदर्शन में सपा जिला अध्यक्ष अब्दुल कलाम, वरिष्ठ नेता लोरिक यादव, राहुल यादव बादल, जिला पंचायत सदस्य शैलेंद्र यादव, आलोक यादव सोनू, अध्यक्ष गौहर अली खान, सुनील सिंह, सुबोध यादव, रामवृक्ष यादव और मनोहर सिंह सहित बड़ी संख्या में सपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे।

कैबिनेट की मंजूरी: कैम्पियरगंज में लगभग 50 हेक्टेयर भूमि पर बनेगा विश्वविद्यालय

संवाददाता–गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में गोरखपुर में बनने वाले 'उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय' को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने इसके लिए "उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश–2026" के प्रख्यापन को स्वीकृति प्रदान की है। 491 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से यह विश्वविद्यालय कैम्पियरगंज क्षेत्र में लगभग 50 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित किया जाएगा। योगी सरकार वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय के लिए इस वर्ष प्रस्तुत प्रदेश के बजट में भी 50 करोड़ रुपये पास कर चुकी है।

गोरखपुर के इस पांचवें विश्वविद्यालय में वानिकी, औद्यानिकी, वन्य जीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, एग्रोफॉरेस्ट्री, फल एवं बागवानी सहित कई आधुनिक विषयों में बीएससी, एमएससी, पीएचडी और डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य वनावरण बढ़ाना, जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करना, किसानों और छात्रों को आधुनिक प्रशिक्षण देना तथा कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना है। इस फैसले से प्रदेश में हरित विकास, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए योगी सरकार और गोरखपुर के नाम एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज हो जाएगी। इसके पहले सरकार ने दुनिया के पहले राजगिद्ध (जटायु) संरक्षण केंद्र की स्थापना गोरखपुर में ही की है।

6 सितंबर 2024 को कैम्पियरगंज में दुनिया के पहले राजगिद्ध जटायु (रेड हेडेड वल्चर) संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के उद्घाटन अवसर पर सीएम योगी ने जटायु संरक्षण केंद्र के समीप ही वानिकी विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की थी।

अब इसे कैबिनेट की भी मंजूरी मिल गई है। यह उत्तर भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय होगा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए गोरखपुर वन प्रभाग ने जटायु संरक्षण केंद्र के समीप ही 50 हेक्टेयर भूमि चिह्नित कर प्रक्रियात्मक तैयारी तेज कर दी है। गोरखपुर के प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) विकास यादव का कहना है कि वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय में वानिकी के अलावा कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी और औद्यानिक के भी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स संचालित कराने की योजना है ताकि बड़ी संख्या में युवाओं के सामने नौकरी और रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध हो सकें। उन्होंने बताया कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब शिलान्यास की तैयारी और तेज की जाएगी।

शोभा यात्रा में श्याम भक्तों का दिखा उत्साह

संवाददाता–गोरखपुर। श्री लाडले श्याम संस्था की ओर से मंगलवार को भव्य निशान पद शोभा यात्रा निकाली गई। कालीबाड़ी मंदिर से सुबह 7 बजे प्रारंभ हुई इस यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उत्साह पूर्वक प्रतिभाग किया। यह शोभा यात्रा कालिबाड़ी से होते हुए रेती चौक मिया बाजार, घोष कंपनी से सिविल लाइन स्थित नेपाल क्लब पहुंची, जहां यात्रा का स्वागत किया गया। इसके बाद वापस कालीबाड़ी मंदिर पहुंचने पर सभी श्याम भक्तों ने बाबा श्याम को निशान अर्पण किया। रास्ते भर निशान यात्रा पर पुष्प आदि की वर्षा होती रही। स्वागत के लिए अनेक स्थान पर स्वागत द्वार बनाए गए थे। इस दौरान महिला व पुरुष श्रद्धालु भक्ति भाव से ओतप्रोत श्याम भजनों पर झूमते नजर आए।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्रख समायत अपील
निगरानी सं0–354/2025
अदालत– श्रीमान अपर आयुक्त (न्यायिक) बस्ती मण्डल बस्ती
जिला–बस्ती
रामसंवरे
बनाम
अनिल कुमार आदि
1. अनिल कुमार पुत्र स्व0 रामदरस निवासी पाण्डेयपुरा ग्राम पंचायत पाण्डेयपुरा तहसील धनघटा जिला संतकबीरनगर 2. भूमि प्रबन्ध समिति रामपुर दक्षिणी जरिये अध्यक्ष निवासी रामपुर दक्षिणी तप्पा सेमरी परगना महुली पूरब तहसील धनघटा जनपद संतकबीरनगर 3. सरकार उ0प्र0 जरिये जिलाधिकारी संतकबीरनगर
तारीख पेशी 08–04–2026
अपील बनराजी के अदालत मुकाम बस्ती
मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट
इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 08 महीना 04 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी। आज बतारीख 06 माह 04 सन 2026 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)
क0 वाद सं0–T202417140314844
धारा 38 (1) उ0प्र0राठासं0–2006
धारा 24 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006
अदालत– श्रीमान अपर उप जिलाधिकारी महोदय बस्ती
जिला–बस्ती
श्रीमती कुसुम
बनाम
भानु प्रताप सिंह आदि
बावत ग्राम मरवटिया तप्पा दुखरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती
1. भानु प्रताप सिंह पुत्र ओम प्रकाश 2. अजय सिंह 3. सुनील सिंह 4. संजय सिंह पुत्रगण राम नरायन सिंह 5. श्रीमती चन्द्रकेशरी पत्नी राम नरायन सिंह 6. राजेन्द्र प्रसाद सिंह 7. विजय कुमार सिंह पुत्रगण सूर्यनरायन सिंह साकिनान मौजा मरवटिया तप्पा दुबखरा परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 16–04–2026
वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 16 माह 04 सन 2026 ई0 बक्वत 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा। बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 06 माह 04 सन 2026 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय खलीलाबाद बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–356/2025
श्याम नरायन शुक्ला
बनाम
रामशंकर यादव
1– रामशंकर यादव उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र राम दुलारे यादव ग्राम अठदमा पोस्ट पोखरनी पत्पा हवेली परगना नगर पूरब तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 01–05–2026
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 01 माह 05 सन 2026 ई0 बक्वत 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा। बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 06 माह 04 सन 2026 ई0 जारी किया गया।
–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब
(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
वाद सं0–153/2024
गीता देवी
बनाम
पारसनाथ आदि
1– पारसनाथ उम्र लगभग 70 साल 2– रामकृष्ण उम्र लगभग 65 साल पुत्रगण सत्यनरायण निवासीगण मौजा डेबरहिया शुक्ल तप्पा बनगंवा परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती
तारीख पेशी 25–04–2026
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 25 माह 04 सन 2026 ई0 बक्वत 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।
आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा। बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 06 माह 04 सन 2026 ई0 जारी किया गया।
–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

प्रारूप 7
(देखे नियम–11 (1)
घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा–12 (1) के अधीन हाजिर होने के लिए सूचना
अदालत–श्रीमान जे0एम0/ एफ0 टी0 सी0 (सी0ए0डब्ल्यू0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती
घरेलू हिंसा परिवाद वाद सं0 533/2023
थाना–पुरानी बस्ती
जिला–बस्ती
सुशीला यादव
बनाम
ज्ञानचन्द्र यादव आदि
1– ज्ञानचन्द्र यादव पुत्र कमलबास (पति) 2. चन्द्रकला पत्नी कमलबास (सास) 3. कमलबास पुत्र (ससुर) 4. रिंका पुत्री कमलबास (ननद) 5. प्रियंका पुत्री कमलबास (ननद) 6. अजय पुत्र कमलबास (देवर) समस्त निवासीगण साकिन चरकईला थाना कलवारी जिला बस्ती
–विपक्षीगण
तारीख पेशी 05–05–2026
याची ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा– 12 के अधीन आवेदन फाइल किया है/किये है। आपको यह कारण बताने के लिए कि क्यों न आवेदक द्वारा मांगे गये (अनुतोषों) को आपके विरुद्ध प्रदान कर दिया जाय व्यक्तिगत रूप से या सम्यक रूप से प्राधिकृत काउन्सेल के मार्पत तारीख 05 मास 05 सन् 2026 को बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में इस न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया जाता है। इसमे असफल होने पर न्यायालय एक पक्षीय कार्यवाही करेगा। मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन तारीख को दी गयी।
द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा दरख्वास्त हुसूल हुक्म मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश
(आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत–श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती
इजरा वाद सं0 22/2025
मूलवाद सं0–442/1991
झकड़ी
बनाम
कमाल उर्फ कमला आदि
1/1 ह्रदयराम उम्र लगभग 69 वर्ष पुत्र कमाल उर्फ कमला 1/2 गेना देवी उम्र लगभग 66 वर्ष पुत्री कमाल उर्फ कमला 1/3 दर्शना देवी पुत्री कमाल उर्फ कमला साकिनान मौजा सेखापुर तप्पा कोतिला परगना बस्ती पूरब तहसील मानपुर जिला–बस्ती
–रेस्पान्डेन्ट प्रथम वर्ग
तारीख पेशी 13–05–2026
हरगाह मुद्दई मजकूरूसदर ने इस अदालत में दरख्वास्त हुकूम मुशहर मन्सूखी डिसमिसी नालिश नाबुदा हस्ब हिदायत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई0 पेश को है।
लिहाजा आपको इत्तिला दी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 13 माह 05 सन 2026 या असालतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुख्तार मजाज हस्ब जाप्ता और वाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर वजह (अगर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुदा की दरख्वास्त क्यों न मन्जूर किया जाय।
मेरे दस्तखत और मुहर अदालत से आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।
द0 हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।
प्रबन्ध सम्पादक–दिनेश सिंह
संयुक्त सम्पादक–प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय–
चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट
अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय–
आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय–
इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल bhartiyabasti@gmail.com
dainikbhartiyabasti@gmail.com

स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। खेसरहा विकास खंड स्थित प्राथमिक विद्यालय भूपतजोत में मंगलवार को स्स्कूल चलो अभियानश और स्संचारी रोग जन जागरूकता अभियानश का शुभारंभ किया गया। क्षेत्रीय विधायक राजकुमार जय प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में नवप्रवेशी बच्चों का नामांकन कराकर अभियान की शुरुआत की।

कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती वंदना और स्वागत गीत से हुआ। विद्यालय परिवार ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया। विधायक ने स्वयं नामांकन प्रक्रिया में हिस्सा लिया, बच्चों को किताबें वितरित कीं और उन्हें नियमित रूप से विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया। अपने संबोधन में विधायक ने स्स्कूल चलो अभियानश के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें, ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके। विधायक ने यह भी बताया कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं चला रही है, जिनका लाभ हर बच्चे तक पहुंचाना सबकी जिम्मेदारी है।

विधायक ने स्संचारी रोग जन जागरूकता अभियानश के तहत साफ–सफाई, स्वच्छ पेयजल, हाथ धोने की आदत और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि संचारी रोगों से बचाव केवल जागरूकता और सतर्कता से ही संभव है। खंड शिक्षा अधिकारी नीरज सिंह ने भी अभियान के उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यालय स्तर पर नामांकन बढ़ाने और ड्रॉपआउट दर कम करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने शिक्षकों से घर–घर संपर्क कर बच्चों को स्कूल से जोड़ने का आह्वान किया।

इस अवसर पर प्रधानाध्यापक धीरज प्रसाद गौड़, विद्यालय प्रबंध समिति की सदस्य चंद्रावती देवी, ग्राम प्रधान बाबूलाल गौतम और जिला समन्वय (समेकित शिक्षा) अमित शुक्ला भी उपस्थित थे। सभी ने अभियान को सफल बनाने और शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकगण, अभिभावक और ग्रामीण भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

नाले में मिला बुजुर्ग का शव

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। कोतवाली क्षेत्र के जमुआर नाले में मंगलवार को एक 60 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिला है। रोवापार गांव निवासी बुद्धिराम पुत्र रामसुभग के रूप में शव की पहचान हुई है। प्रथम दृष्टया उनकी मौत डूबने से होने की आशंका जताई जा रही है।

राहगीरों ने नाले में शव देखकर तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

पुलिस ने शव की पहचान रोवापार गांव निवासी बुद्धिराम (60 वर्ष) पुत्र रामसुभग के रूप में की। परिजनों को सूचित किया गया, जिसके बाद परिवार में शोक छा गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी मौके पर जमा हो गए।

प्रभारी निरीक्षक मिथिलेश राय ने बताया कि परिजनों के अनुसार, बुद्धिराम मंगलवार सुबह शौच के लिए घर से निकले थे। इसी दौरान जमुआर नाले के पास उनका पैर फिसल गया और वे पानी में गिर गए। नाले में पानी अधिक होने के कारण वे बाहर नहीं निकल पाए और डूबने से उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सके। पुलिस अन्य संभावित पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा।

ग्रामीणों ने नाले के किनारे सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम न होने पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि ऐसे स्थानों पर आए दिन हादसों की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए।

जर्जर सड़क–नाली को लेकर फूटा आक्रोश, नारेबाजी

संवाददाता–गोरखपुर। वार्ड नंबर 64 के विष्णुपुरम मोहल्ले के नागरिकों ने मंगलवार को नगर निगम पहुंचकर जर्जर सड़क और नाली को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। नागरिकों ने कहा कि अधिकारियों की तरफ से टेंडर और निर्माण कार्य को लेकर लगातार झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। सड़क निर्माण नहीं हुआ तो मानसून में फिर कॉलोनी के लोग डूबेंगे। विष्णुपुरम कल्याण समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में नालियों का निर्माण तो कर दिया गया है, किन्तु सड़क निर्माण अब तक न होने से स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई है। विशेष रूप से गली संख्या 8 एवं उससे जुड़ी गली संख्या 10 की लिंक रोड पर नाली सड़क से लगभग एक मीटर ऊंची बना दी गई है, जिससे मानसून में जलभराव की संभावना है। तीन दर्जन से अधिक परिवार सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। नागरिकों ने टेंडर हो चुके सड़क और नाली का निर्माण तत्काल शुरू कराने की मांग की। प्रदर्शन करने वालों में अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, उपाध्यक्ष शेषनाथ सोनी, महिला उपाध्यक्ष इंद्रावती शर्मा, दिनेश कुमार सिंह, सौरभ कुमार श्रीवास्तव, रौनक शुक्ला, अमर सिंह, हरिशचंद्र श्रीवास्तव, गौतम सिंह, रामदरश पांडे आदि उपस्थित रहे।

भारत–नेपाल बॉर्डर पर मुठभेड़ में तीन भारतीय तस्कर गिरफ्तार, एक को लगी गोली, नशीले इंजेक्शन बरामद

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। भारत–नेपाल सीमा से सटे रूपनदेही जिले के भैरहवा क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तस्करों को पकड़ने के दौरान हुई फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया, जबकि तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घायल की पहचान खुरहुरिया, रोहिणी गाऊं पालिका वार्ड संख्या–2 निवासी विशाल यादव के रूप में हुई है। उसके बाएं पैर की पिंडली में गोली लगी है और उसका इलाज भीम हॉस्पिटल में चल रहा है।

रूपनदेही जिला पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी डीएसपी कृष्ण कुमार चंद के अनुसार, रोहिणी गाऊं पालिका वार्ड संख्या–4 के कोठावा क्षेत्र में इन्फ्रा तस्करी की सूचना मिलने पर पुलिस टीम को तैनात किया गया था। इसी दौरान यूपी 56 एफ 9901 नंबर की एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर तीन लोग सवार थे। पुलिस

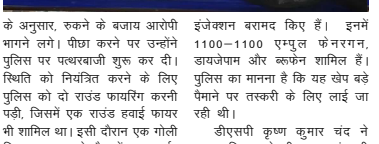

के अनुसार, रुकने के बजाय आरोपी भागने लगे। पीछा करने पर उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को दो राउंड फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें एक राउंड हवाई फायर भी शामिल था। इसी दौरान एक गोली विशाल यादव के पैर में लग गई। फायरिंग के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों में विशाल यादव के अलावा भारत के महराजगंज जिले के परसामलिक थाना क्षेत्र अंतर्गत बिसुनपुरुवा गांव निवासी अरुण कुमार (18) और विनय पांडे (20) शामिल हैं। तलाशी के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल से भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। इनमें 1100–1100 एम्पुल फेनरनन, डायजेपाम और ब्लफेन शामिल हैं। पुलिस का मानना है कि यह खेप बड़े पैमाने पर तस्करी के लिए लाई जा रही थी।

डीएसपी कृष्ण कुमार चंद ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है और तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। घटना के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस पूरी तरह सतर्क है। इस बीच, पुलिस ने काठमांडू के गौशाला–पिंगलास्थान इलाके से दो भारतीय नागरिकों को भी इस तस्करी के संदेह में गिरफ्तार किया है।

करीब 54000 किशोरियों को लगेगा एचपीवी का टीका, मेगा अभियान शुरू

संवाददाता–गोरखपुर। जिले में स्वास्थ्य विभाग ने किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन मंगलवार से शुरू किया। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर इस मेगा वैक्सीनेशन अभियान का उद्घाटन महिला अस्पताल में हुआ। प्रदेश के करीब 50 जिलों में पहले से यह अभियान चल रहा है। उद्घाटन के अवसर पर सीएमओ डॉ राजेश झा व महिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ जयकुमार मौजूद रहे। इस दौरान कस्तूरबा विद्यालय पिपरौली की 10 छात्राओं को ह्यूमन पैपीलोमा वायरस (एचपीवी) से प्रतिरक्षण का टीका लगाया गया। इस टीके की सिर्फ एक डोज ही किशोरियों को लगानी है। इस टीके का नाम गार्डासिल फोर है।

इसे स्वदेशी कंपनी ने विकसित किया है।जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. नंदलाल कुशवाहा ने बताया कि एचपीवी वैक्सीनेशन कई चरण में चलाया जाएगा। मंगलवार इसका पहला चरण शुरू हुआ है। पहले चरण में 14 से 15 वर्ष की किशोरियों को ही टीका लगाया जाएगा। जिले में 44 केंद्रों पर टीका लगाया जाएगा। इसमें बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एम्स, महिला अस्पताल शामिल हैं । जिले की 53960 किशोरियों का चयन इस टीका के लिए हुआ है। यह टीका एक स्वदेशी कंपनी ने विकसित किया है। इस टीके की एक डोज ही किशोरियों को लगाई जाएगी। यह टीका उन किशोरियों को नहीं लगेगा जिन्हें पहले से किसी दूसरी कंपनी का टीका लग चुका है। उन्होंने बताया कि अभियान के पहले चरण के लिए 13000 डोज मिले हुए हैं। इसके अलावा करीब 40000 डोज की दूसरी खेप जल्द ही गोरखपुर को मिल जाएगी।

गुरु तेग बहादुर जयंती श्रद्धा और उत्साह से मनाई गई

संवाददाता–गोरखपुर। सरस्वती शिशु मंदिर पक्कीबाग में गुरु तेग बहादुर की जयंती मंगलवार को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ उनके चित्र पर पुष्पार्चन के साथ हुआ। इस अवसर पर छात्र–छात्राओं को गुरु जी के बलिदान और उनके आदर्श जीवन के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता वरिष्ठ आचार्य अमर सिंह ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी सिख पंथ के नौवें गुरु थे, जिन्होंने धर्म और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अत्याचारों का डटकर सामना किया। उन्होंने बताया कि मुगल शासक औरंगजेब के दबाव में इस्लाम स्वीकार न करने पर उन्हें यातनाएं दी गईं और अंततः दिल्ली के चांदनी चौक में बलिदान दे दिया।

उसी स्थान पर गुरुद्वारा शीश गंज साहिब स्थित है।समापन पर प्रधानाचार्य डॉ. राजेश सिंह ने कहा कि गुरु जी का जीवन हमें निर्भयता, सत्य और सिद्धांतों पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार उपस्थित रहा।